2010:CGHC:12035

पकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक – 681/1993

महंत पाठक @ बुल्थू पाठक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

विचारणार्थ

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु नियत: 30/11/2010

हस्ताक्षरित/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

2010:CGHC:12035

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक – 681/1993

अपीलार्थी – महंत पाठक उर्फ़ बुल्थू पाठक, पिता श्री रतनलाल पाठक, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी कंकालीपारा, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)।

बनाम

प्रत्यर्थी–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना आज़ाद चौक, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित :

अपीलकर्ता की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री नीरज मेहता, अधिवक्ताI

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से :श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ताI

निर्णय

दिनांक: 30/11/2010 को पारित

<u>न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित::</u>

1. यह अपील तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 206/92 में दिनांक 19.5.93 को पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है।

2. आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास का दंड दिया गया है।

3. संक्षेप में तथ्यों का विवरण इस प्रकार है:-

मृतक राजकुमार रायपुर के लिली चौक में पान की दुकान चलाता था। अभियोजन का कथन है कि दिनांक 8.2.92 को रात्रि लगभग 9:30 बजे, जब मृतक अपनी पान की दुकान बंद कर रहा था, तभी अपीलार्थी तथा एक अन्य हमलावर, जिसका नाम भूरू था, वहाँ आए और मृतक पर चाकू से हमला किया। मृतक का भाई दिनेश कुमार (अ.सा..-1) ने यह घटना देखी और थाना पुरानी बस्ती, रायपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात उक्त रिपोर्ट थाना आजाद चौक, रायपुर को स्थानांतरित की गई, जहाँ प्रथम सुचना प्रतिवेदन 39/92 (प्रदर्श-पी/1-ए) दर्ज हुआ। मृतक की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। विवेचना अधिकारी अस्पताल पहुँचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श-पी/3) दी तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श-पी/4) तैयार किया। मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम परीक्षण डॉ. अरविंद निरुलवार (अ.सा..-11) द्वारा किया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी/10 है। उन्होंने मृतक के शरीर पर अनेक कटा हुआ घाव सहित भेदन-घाव (stab wounds) पाए और यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण अनेक चोटों से उत्पन्न रक्तस्राव एवं आघातजन्य (shock) स्थिति के कारण हुआ बेहोशी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(syncope) था। चोटें मृत्यु-पूर्व (ante-mortem) थीं और तीक्ष्ण धार वाले हथियार से उत्पन्न हुई थीं। मृत्यु हत्यात्मक (homicidal) प्रकृति की थी।

आगे की विवेचना के दौरान अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया और उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श-पी/8) दिनांक 20.2.92 को दर्ज किया गया। अपीलार्थी के निशानदेही पर चाकू जब्त किया गया (जप्ती पत्र प्रदर्श-पी/9)। जब्त की गई वस्तुएँ, जिनमें चाकू भी सम्मिलित था, रासायनिक परीक्षण हेतु सागर स्थित फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गईं, जहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/12) प्राप्त हुई। फॉरेन्सिक रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के कपड़ों पर रक्त के धब्बे पाए गए, जबकि अपीलार्थी के कब्जे से कथित रूप से जब्त चाकू पर कोई रक्त धब्बा नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के अनुसार, दिनेश कुमार (अ.सा..-1), जो मृतक का भाई है, ने बताया कि भूरू उर्फ अशोक सिंधी अन्य हमलावर था जो अपीलार्थी के साथ उपस्थित था और उसने भी मृतक को चोटें पहुँचाईं। इस कारण भूरू को भी गिरफ्तार किया गया और अपीलार्थी एवं भूरू उर्फ अशोक सिंधी दोनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर रिमांड ली गई। तथापि, दिनांक 15.5.92 को विवेचना अधिकारी ने रिमांड न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया कि विवेचना में यह पाया गया है कि भूरू उक्त अपराध में सम्मिलित नहीं था। इस आवेदन पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने भूरू को उसी दिन, अर्थात 15.5.92 को, रिमांड के सस्तर पर में ही उक्त अपराध से उन्मोचित कर दिया। अतः, आरोपपत्र केवल अपीलार्थी के विरुद्ध दायर किया गया और मामला सत्र न्यायालय को उपार्पित गया, जहाँ से यह तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित हुआ, जिन्होंने मामले का विचारण किया तथा अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के सत्र विचारण क्रमांक 206/92 में 19.5.93 को दोषसिद्ध होने के पश्चात वर्ष 1994 में एक अन्य अभियुक्त इकराम उल्लाह खान के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपपत्र में अभियोजन का कथन था कि वास्तव में दिनांक 8.2.92 को इकराम उल्लाह खान अपीलार्थी के साथ था तथा मृतक पर हमला करने वाले दोनों व्यक्ति अपीलार्थी और इकराम उल्लाह खान थे। उक्त आरोपपत्र सत्र विचारण क्रमांक 272/94 का विषय बना, जिसका विचारण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा किया गया। उस सत्र विचारण में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 16 फरवरी, 2001 को पारित निर्णय द्वारा अभियुक्त इकराम उल्लाह खान को दोषमुक्त (acquit) कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने चार चक्षुदर्शी साक्षियों का परीक्षण किया। वे हैं — दिनेश कुमार सोनी (अ.सा..-1), प्रशांत शर्मा (अ.सा..-2), मणिराम सोनी (अ.सा..-3) एवं रमेश्वर प्रसाद चौधरी (अ.सा..-6)। रमेश्वर (अ.सा..-6) पक्षद्रोही हो गया तथा उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। प्रशांत शर्मा (अ.सा..-2) पर सत्र न्यायाधीश ने विश्वास नहीं किया। तथापि, माननीय सत्र न्यायाधीश ने दिनेश कुमार सोनी (अ.सा..-1) तथा मणिराम सोनी (अ.सा..-3) की गवाही पर भरोसा किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने एक अन्य हमलावर के साथ मिलकर मृतक पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या की।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने विभिन्न समयों पर अलग-अलग कथाएँ प्रस्तुत कीं, तथा उसके समर्थन में साक्ष्य भी प्राप्त किए, इस कारण अभियोजन का संपूर्ण मामला संदेह के घेरे में है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि दोनों

चक्षुदर्शी साक्षी — अर्थात् दिनेश कुमार सोनी (अ.सा..-1) एवं मणिराम सोनी (अ.सा..-3) — कृत्रिम रूप से तैयार किए गए झूठे साक्षी (got-up witnesses) हैं; उनकी गवाहियों में अनेक विरोधाभास हैं, और उनकी अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं कि उनके आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया जा सके।

6. राज्य की ओर से उपस्थित माननीय उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

7. हमने दोनों पक्षों के माननीय अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र विचारण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श–पी/1) के अनुसार, दो हमलावर — अर्थात् अपीलार्थी बुल्थू पाठक और भूरू — अपराध किये जाने में सम्मिलित थे। यह तथ्य मृतक के भाई दिनेश कुमार (अ.सा..-1) द्वारा शीघ्रतापूर्वक दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. के विवरण से स्पष्ट है, जिन्होंने स्वयं को चक्षुदर्शी बताया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी एवं भूरू उर्फ अशोक सिंधी दोनों को गिरफ्तार किया गया। सत्र विचारण के अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 27.2.92 को भूरू उर्फ अशोक सिंधी के निशानदेही पर रक्तरंजित चाकू जब्त किया गया था और उसको प्रदर्श–पी/12 के माध्यम से सागर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया था। यह तथ्य प्रदर्श–पी/12 की सामग्री से भी स्पष्ट है। यह चाकू "आर्टिकल–सी" के रूप में अंकित किया गया था। फॉरेन्सिक रिपोर्ट के अनुसार, "आर्टिकल–सी" पर रक्त के धब्बे नहीं पाए गए। दिनांक 15.5.92 तक अभियोजन की विवेचना इसी दिशा में चल

रही थी कि अपीलार्थी और भूरू उर्फ अशोक सिंधी ही दोनों हमलावर थे। तत्पश्चात 15.5.92 को विवेचना अधिकारी ने रिमांड/प्रतिबद्धन न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि विवेचना के अनुसार भूरू उर्फ अशोक सिंधी उक्त घटना में कतई सम्मिलित नहीं पाया गया है, अतः उसे उन्मोचित किया जाए। परिणामस्वरूप, भूरू उर्फ अशोक सिंधी को आरोपउन्मोचित कर दिया गया। इसके उपरांत, आगे की विवेचना में अभियोजन ने यह कथन प्रस्तुत किया कि वास्तव में उक्त घटना में सम्मिलित व्यक्ति इकराम उल्लाह खान था, और उसके विरुद्ध वर्ष 1994 में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। यह अभियोजन का इस मामले में तीसरा दृष्टिकोण (third stand) था। अतः यह स्पष्ट है कि हमलावरों की संलिप्तता के संबंध में अभियोजन ने विभिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न कथाएँ प्रस्तुत कीं और इकराम उल्लाह खान के विरुद्ध द्वितीय आरोपपत्र दाखिल किए जाने तक अभियोजन को वास्तविक हमलावरों के संबंध में पूर्ण निश्चितता नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दिनेश कुमार सोनी (अ.सा..-1) ने अपने बयान में कहा कि घटना की रात उसने देखा कि अपीलार्थी और एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम वह नहीं जानता परंतु चेहरा पहचान सकता है, पैदल वहाँ आए और दोनों ने अपने पास रखे चाकुओं से उसके भाई पर हमला किया। उसने अपने भाई को रिक्शे से पुलिस थाना ले गया और तत्पश्चात डी.के. अस्पताल, रायपुर लेकर गया। उसने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट डी.के. अस्पताल, रायपुर में दर्ज कराई और उसने एफ.आई.आर. (प्रदर्श–पी/1) पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की। इस साक्षी के बयान में अनेक विरोधाभास हैं। एफ.आई.आर. (प्रदर्श–पी/1) में उसने कहा कि अपीलार्थी के साथ भूरू था, जबकि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में उसने भूरू का नाम नहीं लिया, बल्कि केवल यह कहा कि वह दूसरे हमलावर को पहचान सकता है। उसे

उसके पुलिस केस डायरी के बयान (प्रदर्श–डी/1) से भी विरोधाभास में कथन किया है , जहाँ उसने भूरू उर्फ अशोक सिंधी का नाम लिया था। उसने अपने धारा 161 सीआरपीसी के कथन में अशोक सिंधी का नाम लेने से इंकार किया। उसे कई अन्य बिंदुओं पर भी विरोधाभासी पाया गया। मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में उसने भूरू उर्फ अशोक सिंधी को हमलावरों में सम्मिलित बताया था, किंतु बाद में उसने उसका नाम छोड़ दिया और केवल अपीलार्थी के विरुद्ध बयान दिया। इसी साक्षी की रिपोर्ट और उसके धारा 161 के कथन के आधार पर भूरू उर्फ अशोक सिंधी को अभियुक्त बनाया गया था, किंतु बाद में अभियोजन ने पाया कि वह उक्त अपराध में बिल्कुल सम्मिलित नहीं था जिसके कारण दिनांक 15.5.92 को अभियोजन द्वारा भूरू को उपर्युक्त प्रकार से उन्मोचित किया गया । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — प्रथम, कि अभियोजन के अनुसार भी भूरू उर्फ अशोक सिंधी को अ.सा..-1 द्वारा एफ.आई.आर. और उसके 161 के कथन में झूठा फँसाया गया था; द्वितीय, कि अभियोजन ने भूरू उर्फ अशोक सिंधी के कब्जे से कथित रक्तरंजित चाकू की झूठी जब्ती कर उसे रासायनिक परीक्षण हेतु सागर भेजा। दिनेश कुमार (अ.सा..-1) ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उसने एफ.आई.आर. डी.के. अस्पताल, रायपुर में दर्ज कराई, जबकि एफ.आई.आर. (प्रदर्श–पी/1) की सामग्री से यह स्पष्ट है कि वह देहाती नालिश के रूप में नहीं थी, बल्कि वह धारा 154 दं.प्र.सं. के अधीन रिपोर्ट दर्ज करने के निर्धारित प्रारूप में थी, और वह रिपोर्ट थाना पुरानी बस्ती, रायपुर में दर्ज की गई थी। उपर्युक्त विरोधाभास और इस साक्षी के बयान में असंगति उसकी गवाही पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं। यह अभियोजन और विवेचना की कार्यवाही पर भी संदेह उत्पन्न करता है, जिसमें भूरू उर्फ अशोक सिंधी के कब्जे से झूठी जब्ती कर रक्त जैसे पदार्थ से रँगे हथियार को जब्त करने का दावा किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया। निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने की इस साक्षी की प्रवृत्ति उसकी समस्त गवाही को संदेहास्पद बना देती है।

10. मणिराम सोनी (अ.सा..-3) ने अपने बयान में कहा कि — "घटना की रात वह घटना स्थल के समीप उपस्थित था और उसने देखा कि अपीलार्थी मृतक पर गुसी और चाकू से वार कर रहा था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलार्थी के साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। मृतक पर हमला करने के बाद दोनों हमलावर वहाँ से भाग गए। तत्पश्चात मृतक को अस्पताल ले जाया गया।" इस साक्षी को उसके केस डायरी के कथन (प्रदर्श–डी/3) से सामना कराया गया। उसके केस डायरी कथन में उसने कहा था कि अपीलार्थी के साथ भूरू उर्फ अशोक सिंधी था, जिसके पास भी चाकू था और जिसने मृतक पर चाकू से वार किया था। जबकि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य में उसने अशोक सिंधी का नाम लेना छोड़ दिया और यहाँ तक कहा कि वह अशोक सिंधी को जानता ही नहीं है। जब उससे उसके उपर्युक्त केस डायरी कथन का सामना कराया गया, तो वह इस विरोधाभास का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका और केवल इतना कहा कि ये बातें उसके केस डायरी कथन में गलत रूप से लिखी गई हैं। यह विरोधाभास इस साक्षी के साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण असंगति है, जो उसकी गवाही को अविश्वसनीय बना देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध दृढ़ और अक्षुण्ण हैं, अतः इन दोनों साक्षियों की गवाही के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित था। तथापि, उपर्युक्त चर्चा के आलोक में हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारे विचार में इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय नहीं हैं और वे दुर्बल (infirm) साक्षी हैं। **<u>मुलुवा</u>**

<u>आत्मज बिन्दा और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, AIR 1976 SC 989</u> में यह प्रतिपादित किया गया था कि किसी दुर्बल साक्षी की गवाही केवल इसलिए विश्वसनीय नहीं हो जाती क्योंकि उसी प्रकार के अन्य अनेक साक्षियों ने उसका समर्थन किया है; क्योंकि साक्ष्य की गणना नहीं, बल्कि उसका मूल्यांकन (weight) किया जाता है। वर्तमान मामले में, हमें साक्षियों के समग्र आचरण में कोई ऐसा तत्व नहीं मिलता जिससे उन्हें विश्वसनीय माना जा सके।

12. उपर्युक्त दोनों साक्षियों के समस्त साक्ष्य तथा अभियोजन के उस आचरण का मूल्यांकन करने पर, जिसने अनेक अवसरों पर अपने प्रकरण का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया, हम इस मत पर पहुँचते हैं कि इन दोनों साक्षियों की गवाही के आधार पर की गई दोषसिद्धि स्थिर नहीं रह सकती। इन साक्षियों की गवाही अत्यंत संदेहास्पद है तथा सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने हेतु इनके अभिकथनों पर भरोसा करने की भूल की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपर्युक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध आरोपों से दोषउन्मोचित (दोषमुक्त) किया जाता है। यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर है। उसके जमानत-बंधपत्र निरस्त की जाती है तथा उसके प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

सही/- **सही/-**

<u>मुख्य न्यायाधीश</u> **<u>श्री सुनील कुमार सिन्हा</u>**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुविचारण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ankita Jangde, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur